उत्तर प्रदेश शासन
बाह्य सहायतित परियोजना विभाग
संख्याः–30/72–बा0स0परि0वि0/2013–30(72)/2004
लखनऊ : दिनांक : 16 जनवरी, 2013
कार्यालय ज्ञाप

बाह्य सहायतित परियोजनाओं/योजनाओं के अनुश्रवण के लिए गठित प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट में पदों के सृजन से सम्बन्धित नियोजन अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3995/35–2/96–यू0ओ0–38/35–2/96, दिनांक 28.08.1996 के प्रस्तर–3 के क्रमांक–6 पर अंकित वैयक्तिक सहायक के पदनाम, वेतनमान/ग्रेड पे एवं भर्ती के श्रोत का निम्नवत् संशोधन पर इस प्रतिबन्ध के साथ श्रीराज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि पी0एम0यू0 में उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त वैयक्तिक सहायक को सचिवालय प्रशासन विभाग के वैयक्तिक सहायक वर्तमान पदनाम अपर निजी सचिव संवर्ग से बाहर रखा जायेगाः–

क्र0सं0	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान/ग्रेड पे	भर्ती का श्रोत	अर्हता
6	वैयक्तिक सहायक	एक	(1640–2900) पुराना वेतनमान 9300–34800 ग्रेड–पे 4800	प्रतिनियुक्ति, सेवा–स्थानान्तरण, अथवा संविदा/बाडीशापिंग	उत्तर प्रदेश सचिवालय के समकक्ष स्तर के पद हेतु निर्धारित अर्हता

2. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.08.1996 के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।
3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–5–865/दस–2012, दिनांक 11 जनवरी, 2013 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्याः30(1)/72–बा0स0परि0वि0/2013 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1/2/3 (अधिष्ठान)
3 सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–10/11 (बजट सेल) अनुभाग
4. वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–5
5. नियुक्ति अनुभाग–1
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0बी0 गुप्ता)
अनु सचिव।

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता
अर्द्धशा0प0सं0:एमएस–35 / 72–बा0स0परि0वि0 / 13–17(72) / 2013

उत्तर प्रदेश शासन
बाह्य सहायतित परियोजना विभाग

लखनऊ : दिनांकः 10 मई, 2013

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2013–2014 निर्धारित किया जा चुका है, जिसमें वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से बाह्य सहायतित परियोजनाओ में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना सम्मिलित है। इस हेतु विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ए0डी0बी0) तथा जायका (जापान इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एजेन्सी) आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि चर्चा हेतु निरन्तर प्रदेश भ्रमण पर पधार रहे हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझसे यह निदेशित करने की अपेक्षा की गयी है कि उपयुर्क्त संस्थाओं एवं अन्य बाह्य सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं के मिशन अथवा दल अथवा प्रतिनिधिगण के प्रदेश में पधारने के समय उनके अनुरोधानुसार भेंट वार्ता एवं चर्चा करने तथा वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने में तत्परता बरती जाये। इसमें भी किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा आनाकानी को गम्भीरता से लिया जाएगा।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग लखनऊ दिनांकः 07 जुलाई, 2010

विषयः बाह्य सहायतित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में यह अनुभव रहा है कि इन परियोजनाओं के भिन्न–भिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ एवं परियोजनाओं के संचालन में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के कारण प्रायः बाह्य सहायतित परियोजनायें समय से निर्धारित अवधि के भीतर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे न केवल प्रदेश को समुचित बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, अपितु इन परियोजनाओं के समय से सफल कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण प्रदेश में बाह्य सहायता का जो लाभ मिलना चाहिए, वह पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रदेश में चल रहीं बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना,** के समय से सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न प्रकार से एक उच्च स्तरीय **''इम्पावर्ड कार्यकारी समिति**'', जो बाह्य सहायतित परियोजना के सम्बन्ध में सभी स्वीकृतियॉ एवं अनुमोदन देने यथा – पदों की स्वीकृतियॉ, विधिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति इत्यादि के लिए पूर्णतः प्राधिकृत होगी, के गठन की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, नियोजन	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, न्याय	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, कार्मिक	:	सदस्य
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव	:	सदस्य
प्रमुख सचिव / सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना	:	सदस्य सचिव
परियोजना निदेशक, आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना	:	सदस्य सह सचिव

.....2

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि प्रदेश में बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना** के प्रशासकीय विभाग **नगर विकास विभाग** अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग के स्तर पर त्वरित ढंग से कार्यवाही संपादित करायेंगें, ताकि परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ समय से निर्गत हो जायें। किसी विशिष्ट मामले, जिसमें अन्य विभागों की सहमति से कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो और उनका समय से निस्तारण न हो पा रहा हो, ऐसे मामले इम्पावर्ड कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग स्वतः औचित्यपूर्ण टिप्पणी बाह्य सहायतित परियोजना विभाग को उपलब्ध करायेंगे। बाह्य सहायतित परियोजना विभाग मुख्य सचिव स्तर पर बैठक का आयोजन सम्पादित कराएगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा, जिस पर अपेक्षित स्वीकृतियॉ उनके द्वारा निर्गत की जा सकें।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या– 418(1)/72–बा0स0परि0वि0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को कृपया मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृपया अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
6. परियोजना निदेशक, आगरा जल सम्पूर्ति परियोजना, आगरा।
7. गोपन अनुभाग–1
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(तुलसी गौड़)
सचिव

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग लखनऊ दिनांकः 07 जुलाई, 2010

विषयः बाह्य सहायतित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में यह अनुभव रहा है कि इन परियोजनाओं के भिन्न–भिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ एवं परियोजनाओं के संचालन में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के कारण प्रायः बाह्य सहायतित परियोजनायें समय से निर्धारित अवधि के भीतर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे न केवल प्रदेश को समुचित बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, अपितु इन परियोजनाओं के समय से सफल कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण प्रदेश में बाह्य सहायता का जो लाभ मिलना चाहिए, वह पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रदेश में चल रहीं बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना,** के समय से सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न प्रकार से एक उच्च स्तरीय **''इम्पावर्ड कार्यकारी समिति**'', जो बाह्य सहायतित परियोजना के सम्बन्ध में सभी स्वीकृतियॉ एवं अनुमोदन देने यथा – पदों की स्वीकृतियॉ, विधिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति इत्यादि के लिए पूर्णतः प्राधिकृत होगी, के गठन की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, नियोजन	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, न्याय	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, कार्मिक	:	सदस्य
सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव	:	सदस्य
प्रमुख सचिव / सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना	:	सदस्य सचिव
अध्यक्ष, उ0प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना	:	सदस्य सह सचिव

.....2

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि प्रदेश में बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना,** के प्रशासकीय विभाग **सिंचाई विभाग** अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग के स्तर पर त्वरित ढंग से कार्यवाही संपादित करायेंगें, ताकि परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ समय से निर्गत हो जायें। किसी विशिष्ट मामले, जिसमें अन्य विभागों की सहमति से कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो और उनका समय से निस्तारण न हो पा रहा हो, ऐसे मामले इम्पावर्ड कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग स्वतः औचित्यपूर्ण टिप्पणी बाह्य सहायतित परियोजना विभाग को उपलब्ध करायेंगे। बाह्य सहायतित परियोजना विभाग मुख्य सचिव स्तर पर बैठक का आयोजन सम्पादित कराएगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा, जिस पर अपेक्षित स्वीकृतियॉ उनके द्वारा निर्गत की जा सकें।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–418(1)/72–बा0स0परि0वि0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को कृपया मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृपया अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
6. अध्यक्ष, उ0प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, लखनऊ।
7. गोपन अनुभाग–1
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(तुलसी गौड़)
सचिव

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग लखनऊ दिनांकः 07 जुलाई, 2010

विषयः बाह्य सहायतित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में यह अनुभव रहा है कि इन परियोजनाओं के भिन्न–भिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ एवं परियोजनाओं के संचालन में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के कारण प्रायः बाह्य सहायतित परियोजनायें समय से निर्धारित अवधि के भीतर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे न केवल प्रदेश को समुचित बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, अपितु इन परियोजनाओं के समय से सफल कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण प्रदेश में बाह्य सहायता का जो लाभ मिलना चाहिए, वह पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रदेश में चल रहीं बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 स्टेट रोड परियोजना–।।,** के समय से सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न प्रकार से एक उच्च स्तरीय **''इम्पावर्ड कार्यकारी समिति**'', जो बाह्य सहायतित परियोजना के सम्बन्ध में सभी स्वीकृतियॉ एवं अनुमोदन देने यथा – पदों की स्वीकृतियॉ, विधिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति इत्यादि के लिए पूर्णतः प्राधिकृत होगी, के गठन की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, नियोजन	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, न्याय	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, कार्मिक	:	सदस्य
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव	:	सदस्य
प्रमुख सचिव / सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना	:	सदस्य सचिव
परियोजना निदेशक, उ0प्र0 स्टेट रोड परियोजना–।।,	:	सदस्य सह सचिव

.....2

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि प्रदेश में बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 स्टेट रोड परियोजना–।।,** के प्रशासकीय विभाग **लोक निर्माण विभाग** अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग के स्तर पर त्वरित ढंग से कार्यवाही संपादित करायेंगें, ताकि परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ समय से निर्गत हो जायें। किसी विशिष्ट मामले, जिसमें अन्य विभागों की सहमति से कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो और उनका समय से निस्तारण न हो पा रहा हो, ऐसे मामले इम्पावर्ड कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग स्वतः औचित्यपूर्ण टिप्पणी बाह्य सहायतित परियोजना विभाग को उपलब्ध करायेंगे। बाह्य सहायतित परियोजना विभाग मुख्य सचिव स्तर पर बैठक का आयोजन सम्पादित कराएगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा, जिस पर अपेक्षित स्वीकृतियॉ उनके द्वारा निर्गत की जा सकें।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–418(1)/72–बा0स0परि0वि0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को कृपया मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृपया अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
6. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 स्टेट रोड परियोजना–।।, लखनऊ।
7. गोपन अनुभाग–1
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(तुलसी गौड़)
सचिव

संख्या– 418 / 72–बा0स0परि0वि0 / 2010(द)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग लखनऊ दिनांकः 07 जुलाई, 2010

विषयः बाह्य सहायतित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में यह अनुभव रहा है कि इन परियोजनाओं के भिन्न–भिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ एवं परियोजनाओं के संचालन में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के कारण प्रायः बाह्य सहायतित परियोजनायें समय से निर्धारित अवधि के भीतर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे न केवल प्रदेश को समुचित बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, अपितु इन परियोजनाओं के समय से सफल कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण प्रदेश में बाह्य सहायता का जो लाभ मिलना चाहिए, वह पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रदेश में चल रहीं बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना,** के समय से सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न प्रकार से एक उच्च स्तरीय **''इम्पावर्ड कार्यकारी समिति**'', जो बाह्य सहायतित परियोजना के सम्बन्ध में सभी स्वीकृतियॉ एवं अनुमोदन देने यथा – पदों की स्वीकृतियॉ, विधिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति इत्यादि के लिए पूर्णतः प्राधिकृत होगी, के गठन की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, नियोजन	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, न्याय	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, कार्मिक	:	सदस्य
वन विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव	:	सदस्य
प्रमुख सचिव / सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना	:	सदस्य सचिव
परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना	:	सदस्य सह सचिव

.....2

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि प्रदेश में बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना,** के प्रशासकीय विभाग **वन विभाग** अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग के स्तर पर त्वरित ढंग से कार्यवाही संपादित करायेंगें, ताकि परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ समय से निर्गत हो जायें। किसी विशिष्ट मामले, जिसमें अन्य विभागों की सहमति से कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो और उनका समय से निस्तारण न हो पा रहा हो, ऐसे मामले इम्पावर्ड कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग स्वतः औचित्यपूर्ण टिप्पणी बाह्य सहायतित परियोजना विभाग को उपलब्ध करायेंगे। बाह्य सहायतित परियोजना विभाग मुख्य सचिव स्तर पर बैठक का आयोजन सम्पादित कराएगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा, जिस पर अपेक्षित स्वीकृतियॉ उनके द्वारा निर्गत की जा सकें।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–418(1)/72–बा0स0परि0वि0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को कृपया मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृपया अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
6. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना, लखनऊ।
7. गोपन अनुभाग–1
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(तुलसी गौड़)
सचिव

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग लखनऊ दिनांकः 07 जुलाई, 2010

विषयः बाह्य सहायतित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में यह अनुभव रहा है कि इन परियोजनाओं के भिन्न–भिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ एवं परियोजनाओं के संचालन में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के कारण प्रायः बाह्य सहायतित परियोजनायें समय से निर्धारित अवधि के भीतर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे न केवल प्रदेश को समुचित बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, अपितु इन परियोजनाओं के समय से सफल कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण प्रदेश में बाह्य सहायता का जो लाभ मिलना चाहिए, वह पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रदेश में चल रहीं बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट परियोजना** के समय से सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न प्रकार से एक उच्च स्तरीय **''इम्पावर्ड कार्यकारी समिति''**, जो बाह्य सहायतित परियोजना के सम्बन्ध में सभी स्वीकृतियॉ एवं अनुमोदन देने यथा – पदों की स्वीकृतियॉ, विधिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति इत्यादि के लिए पूर्णतः प्राधिकृत होगी, के गठन की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, नियोजन	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, न्याय	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, कार्मिक	:	सदस्य
चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव	:	सदस्य
प्रमुख सचिव / सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना	:	सदस्य सचिव
परियोजना निदेशक, उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट परियोजना	:	सदस्य सह सचिव

.....2

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि प्रदेश में बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट परियोजना,** के प्रशासकीय विभाग चिकित्सा विभाग अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग के स्तर पर त्वरित ढंग से कार्यवाही संपादित करायेंगें, ताकि परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ समय से निर्गत हो जायें। किसी विशिष्ट मामले, जिसमें अन्य विभागों की सहमति से कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो और उनका समय से निस्तारण न हो पा रहा हो, ऐसे मामले इम्पावर्ड कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग स्वतः औचित्यपूर्ण टिप्पणी बाह्य सहायतित परियोजना विभाग को उपलब्ध करायेंगे। बाह्य सहायतित परियोजना विभाग मुख्य सचिव स्तर पर बैठक का आयोजन सम्पादित कराएगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा, जिस पर अपेक्षित स्वीकृतियॉ उनके द्वारा निर्गत की जा सकें।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या– 418(1)/72–बा0स0परि0वि0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को कृपया मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृपया अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
6. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट परियोजना, लखनऊ।
7. गोपन अनुभाग–1
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(तुलसी गौड़)
सचिव

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग लखनऊ दिनांकः 07 जुलाई, 2010

विषयः बाह्य सहायतित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में यह अनुभव रहा है कि इन परियोजनाओं के भिन्न–भिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ एवं परियोजनाओं के संचालन में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के कारण प्रायः बाह्य सहायतित परियोजनायें समय से निर्धारित अवधि के भीतर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे न केवल प्रदेश को समुचित बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, अपितु इन परियोजनाओं के समय से सफल कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण प्रदेश में बाह्य सहायता का जो लाभ मिलना चाहिए, वह पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रदेश में चल रहीं बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना–।।।** के समय से सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न प्रकार से एक उच्च स्तरीय **''इम्पावर्ड कार्यकारी समिति''**, जो बाह्य सहायतित परियोजना के सम्बन्ध में सभी स्वीकृतियॉ एवं अनुमोदन देने यथा – पदों की स्वीकृतियॉ, विधिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति इत्यादि के लिए पूर्णतः प्राधिकृत होगी, के गठन की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, नियोजन	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, न्याय	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, कार्मिक	:	सदस्य
परती भूमि विकास विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव	:	सदस्य
प्रमुख सचिव / सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना	:	सदस्य सचिव
परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना–।।।	:	सदस्य सह सचिव

.....2

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि प्रदेश में बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना–।।।,** के प्रशासकीय विभाग **परती भूमि विकास विभाग** अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग के स्तर पर त्वरित ढंग से कार्यवाही संपादित करायेंगें, ताकि परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ समय से निर्गत हो जायें। किसी विशिष्ट मामले, जिसमें अन्य विभागों की सहमति से कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो और उनका समय से निस्तारण न हो पा रहा हो, ऐसे मामले इम्पावर्ड कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग स्वतः औचित्यपूर्ण टिप्पणी बाह्य सहायतित परियोजना विभाग को उपलब्ध करायेंगे। बाह्य सहायतित परियोजना विभाग मुख्य सचिव स्तर पर बैठक का आयोजन सम्पादित कराएगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा, जिस पर अपेक्षित स्वीकृतियॉ उनके द्वारा निर्गत की जा सकें।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–418(1)/72–बा0स0परि0वि0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को कृपया मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृपया अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
6. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना–।।। लखनऊ।
7. गोपन अनुभाग–1
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(तुलसी गौड़)
सचिव

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग लखनऊ दिनांकः 07 जुलाई, 2010

विषयः बाह्य सहायतित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में यह अनुभव रहा है कि इन परियोजनाओं के भिन्न–भिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ एवं परियोजनाओं के संचालन में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के कारण प्रायः बाह्य सहायतित परियोजनायें समय से निर्धारित अवधि के भीतर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे न केवल प्रदेश को समुचित बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, अपितु इन परियोजनाओं के समय से सफल कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण प्रदेश में बाह्य सहायता का जो लाभ मिलना चाहिए, वह पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रदेश में चल रहीं बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **बौद्ध परिपथ परियोजना–।।** के समय से सफल कार्यान्वयन के लिए निम्न प्रकार से एक उच्च स्तरीय **''इम्पावर्ड कार्यकारी समिति**'', जो बाह्य सहायतित परियोजना के सम्बन्ध में सभी स्वीकृतियॉ एवं अनुमोदन देने यथा – पदों की स्वीकृतियॉ, विधिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति इत्यादि के लिए पूर्णतः प्राधिकृत होगी, के गठन की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, नियोजन	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, न्याय	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, कार्मिक	:	सदस्य
पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव	:	सदस्य
प्रमुख सचिव / सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना	:	सदस्य सचिव
परियोजना निदेशक, बौद्ध परिपथ–।।	:	सदस्य सह सचिव

.....2

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि प्रदेश में बाह्य सहायतित परियोजना से संचालित **बौद्ध परिपथ परियोजना–।।,** के प्रशासकीय विभाग **पर्यटन विभाग** अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग के स्तर पर त्वरित ढंग से कार्यवाही संपादित करायेंगें, ताकि परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न अवयवों की स्वीकृतियॉ समय से निर्गत हो जायें। किसी विशिष्ट मामले, जिसमें अन्य विभागों की सहमति से कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो और उनका समय से निस्तारण न हो पा रहा हो, ऐसे मामले इम्पावर्ड कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग स्वतः औचित्यपूर्ण टिप्पणी बाह्य सहायतित परियोजना विभाग को उपलब्ध करायेंगे। बाह्य सहायतित परियोजना विभाग मुख्य सचिव स्तर पर बैठक का आयोजन सम्पादित कराएगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया जाएगा, जिस पर अपेक्षित स्वीकृतियॉ उनके द्वारा निर्गत की जा सकें।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–418(1)/72–बा0स0परि0वि0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को कृपया मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृपया अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
6. परियोजना निदेशक, बौद्ध परिपथ परियोजना–।। लखनऊ।
7. गोपन अनुभाग–1
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(तुलसी गौड़)
सचिव